

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पर्यावरणी भूविज्ञान

नैताजी सुभाष चन्द्र बोस भूविज्ञान कालेज जबलपुर (म.प.)

क्र/स्था/राज/एसईपीएम/2018 - 3222

दिनांक: 23 / 4 / 19

// सीमित विज्ञापित //

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश का.क्र. 55 /2019/चार/एम सी.सी. निर्देश/9179 भोपाल दिनांक 16-04-19 से प्राप्त अर्जमति एवं मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एक-3/2018/55-2 दिनांक 26/05/2018, आदेश क्रमांक एक 1-3/2018/55-2 दिनांक 01/03/2019, एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के जापन क्रमांक एक 2-57/2018/55-1 दिनांक: 06/08/2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सूपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षा आदेश सेवा नियम 2018 एवं कार्यालय आर्यवत, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के जापन क्रमांक 5528/स्था/राज/2018 दिनांक 11/09/2018 के अर्जक्रम में नैताजी सुभाष चन्द्र बोस भूविज्ञान कालेज जबलपुर में, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पर्यावरणी भूविज्ञान के शैक्षणिक संवर्ग के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ती सी.सी. अर्जी, सी.सी./ पदोन्नति द्वारा सीमित विज्ञापित के माध्यम से की जाना है। इस हेतु संस्था स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय दिनांक- 24/4/2019 सायं 05.30

बत तक है.

प्राध्यापक / सह प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक

क्र.	पदनाम	UR	ST	SC	OBC	कुल
1	Professor TB Chest	00	00	00	00	01
2	Associate Professor TB Chest	00	00	00	00	02
		00	00	00	00	02
3	Assistant Professor TB Chest	01	01	00	00	04
		01	01	00	00	04

उपरोक्त विहित पदों में SC=अनसूचित जाति, ST=अनसूचित जनजाति, OBC=अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार हेतु

आरक्षित है।

नोट:- 1.पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।

Dr. Anshu

→

Dr
Sharma

4. जाति प्रमाण पत्र :- आरक्षण पत्र का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा ।
3. पदों का आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।
में ही जायेगी ।

टीप:- आयु की गणना विजापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी को आधार मानकर गणना

प्रत्यापक	-	35 वर्ष
सह प्रत्यापक	-	30 वर्ष
सहायक प्रत्यापक	-	25 वर्ष

2. आयु सीमा न्यूनतम

आदि देय होंगे ।

टीप:- समस्त पदों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान लिखित मानदेय एवं अन्य शर्तें

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	लिखित मासिक वेतनमान
1	प्रत्यापक	37400 - 67000+10000	300000
2	सह प्रत्यापक	37400 - 67000+10000	250000
3	सहायक प्रत्यापक	15600-39100+7000	150000

1 वेतनमान :-

8. आवेदन पत्र के लिए काँलेक्ट नंबर (म.प्र.) शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदन पत्र का बांस भंडाल काँलेक्ट नंबर (म.प्र.) की आवक-जावक शाखा में जमा कराए जा सकते हैं।
7. आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, नेताजी सुभाष चन्द्र अहिंसाओं की पूर्ति करते हैं।
6. आवेदन पत्र की पात्रता केवल नेताजी सुभाष चन्द्र बांस भंडाल काँलेक्ट नंबर (म.प्र.) में कार्यरत सम्बन्धित विषयों के उच्चै प्रत्यापक, सह प्रत्यापक एवं सहायक प्रत्यापक को ही होगी जो शासन/ एमसीआई द्वारा निर्धारित जायेगा।

- उन्नीसवीं नवम्बर को सत्रो महोदय का वेबसाइट पर जारी की जायेगी तथा ईमेल / फोन द्वारा भी सूचित किया जायेगा।
5. साक्षात्कार की तिथि 25/11/2019 समय दोपहर 03:00 बजे निर्धारित की गई है एवं इस हेतु पात्र अर्जियों एवं रजिस्ट्रेशन की तिथि 25/11/2019 को जारी की जायेगी ।
4. स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के उपरोक्त प्रदर्शन पदों की शर्तों की पूर्ति स्वीकृत में निर्युक्त के संबंध में अधिकार के रूप में माना नहीं कर सकते।
अन्यथा लिखे गए शासकीय निर्णय के अधीन निर्युक्त/पदोन्नति/रहने, एवं अध्यापन/निर्युक्त निरस्त होने की दशा
3. विजापित पदों के आरक्षण एवं निर्युक्त संबंधी समीक्षण लिखित एवं शिष्य में निर्युक्तियों के संबंध में वेबसाइट पर www.nscbm.ac.in पर भी उपलब्ध कराई जा रही है ।
2. शर्तों की प्रकृति एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप विकिपीडिया महोदय का

सं. अर्जद्वारा	सं. क्र. 1 का नाम	पद का नाम	उपनाम	आय	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2	टीबी वस्तु	35 वर्ष	As per TEQ regulation of MCI. Academic qualification: M.D.(Tuberculosis)/M.D.(TB & Respiratory Diseases)/M.D.(Medicine) with T.D.D., D.T.D. or D.T.C.D./M.D. (TB & Chest Diseases) or DNB as per TEQ regulation of MCI prevailing at the time of appointment as Assistant Professor in concerned subject . Teaching & Research Experience: -As Associate Professor in Tuberculosis and Respiratory Diseases for three years in the recognized medical college. - Four Research papers accepted/published in index/national journal as first/Corresponding author on cumulative basis. Out of these four research publications minimum two research publication must be published during the tenure of the Associate Professor." -Authorship: As per the norms of MCI TEQ prevailing at the time of publication (First/second /corresponding)	स्वशास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय देवास निर्धारित अर्हताएं
2	3	सह	30 वर्ष	As per TEQ regulation of MCI Academic qualification: M.D.(Tuberculosis)/M.D. (TB & Respiratory Disease.)/M.D.(Medicine) with T.D.D., D.T.D. or D.T.C.D./M.D. (TB & Chest Diseases) or DNB as per TEQ regulation of MCI prevailing at the time of appointment as Assistant Professor in concerned subject . Teaching & research Experience: -As Assistant Professor in Tuberculosis and Respiratory Diseases for four years in the recognized medical college. Publications: - Two Research papers accepted/ published in index/national journal as first/corresponding author during the tenure of Assistant Professor Authorship: As per the norms of MCI TEQ prevailing at the time of publication (First/second /corresponding)	स्वशास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय देवास निर्धारित अर्हताएं
3	4	सहायक टीबी वस्तु	25 वर्ष	As per TEQ regulation of MCI Academic qualification: M.D.(Tuberculosis)/M.D.(TB & Respiratory Dise.)/M.D.(Medicine) with T.D.D., D.T.D. or D.T.C.D./M.D. (TB & Chest Diseases) or DNB as per TEQ regulation of MCI prevailing at the time of appointment as Assistant Professor in concerned subject . Teaching & research Experience: -Three years teaching experience in the subject as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor in a recognized medical college either during the postgraduation course or after obtaining postgraduate degree in the subject.	स्वशास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय देवास निर्धारित अर्हताएं

Dr. Jyoti
Dr. Jyoti

- One year Senior Residency in concerned Department of a	Recognized/Permitted Medical college after obtaining post	graduate degree qualification			
--	---	-------------------------------	--	--	--

1- अर्जुंसी के कालम 5 में उल्लिखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदनुसार परिवर्तित

अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी।

2- साहिकार समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकती।

3- अन्य शर्तबद्ध जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हताएं।

6 निर्देश:-

• विकृत चित होने वाला होने पर।

• दूरचरित्र होने पर।

• शारीरिक दृढ़ता होने के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है।

• नियुक्ति के लिए प्रयास/अर्जुंसीकरण करने पर किसी भी उम्मीदवार को और से अपनी उम्मीदवारी को

सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अर्जुंसीकरण उसके लिए

अनर्हकारी माना जाएगा।

• विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने निर्धारित न्यूनतम आयु से (पुरुष वर्ग 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के

लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा।

कोई भी ऐसा महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया है

जिसका/जिसकी पहल से जीवित पति / पत्नी ही नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

• कैंट रजिस्टर फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिज्ञेय करबदल कर

प्रस्तुत करने पर।

• कटाचरण संबंधी:- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं किया जाएगा यदि उसे शासन या

स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कटाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे

नैतिक पतन के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

• ऐसा उम्मीदवार जिसके विकृत नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है

अथवा वह नैतिक पतन के मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

• स्वास्थ्य संबंधी -विकल्पा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो के द्वारा स्वास्थ्य

परिक्षण के उपरान्त - शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करे।

7 अर्जुंसी की प्रक्रिया:-

7.1 रिक्त पदों की पूर्ती के लिए साहिकार समिति विजित / सीमित विजित जारी करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया

अपनाएगी।

7.2 रिक्त पदों की पूर्ती के लिए साहिकार समिति यथावश्यक लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों नियत

कर सकती।

7.3 चयन समिति भरिटे के आधार पर एवं भरिटे क्रम अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्जुंसी देगी और तदनुसार

वरीयताक्रम क्रम में नियुक्ति की जा सकती।

7.4 महाविद्यालय में सेवारत अर्हताधारी व्यक्ति रिक्त पद के विकृत आर्देन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे

आर्देन के लिए उसे नियोजता से अनापत्ति नहीं लेनी होगी।

7.5 महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति का अर्जुंसी 01 में विनिर्दिष्ट किसी पद के विकृत चयन हो जाने की दशा

में ऐसे व्यक्ति द्वारा महाविद्यालय में की गई पूर्व सेवा अवधि एवं वेतनभत्तों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

7.6 किसी शासकीय विकल्पा महाविद्यालय में सेवारत अथवा अन्य शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति को स्कूल

आफ एक्सीलेंस डेन पम्पोजरी अडिस्मिन् में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शासकीय विकल्पा महाविद्यालय / शासकीय

सेवा से त्यागपत्र देना होगा।

8. सेवाएं:-

8.1 विकल्पा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (ग्रांडवैट प्रैक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा।

8.2 वार्षिक वेतनवृद्धि 08 (आठ) प्रतिशत देय होगी।

8.3 क्षमता पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता राज्य शासन के प्रथम अधिकारी पारतर्जुंसीर देय होगा।

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

8.4 विषय विशेष में रिसर्च वेयर प्रस्तुत करने हेतु वर्ष में दो बार देश के भीतर एवं एक बार देश के बाहर वास्तुमान किया, दैनिक भता, एवं वक्तव्य / समीक्षाएं / वक्तव्य, एवं वक्तव्य दिया जाएगा।

8.4 नि:शुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जायेगी। यह भाड़ा देय नहीं होगा।

8.6 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक को उपरोक्त उल्लेखित एक मूहत वतन के अतिरिक्त कार्याधारित निम्न पारिश्रमिक दिया जायेगा :-

(अ) उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत।

(ब) चिकित्सा शिक्षक व्यय Paid OPD में देखे गए मरीज से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत।

8.7 चिकित्सा शिक्षक को 3 वर्ष की सेवा देने के लिए बंधुपत्र प्रस्तुत करना होगा। 3 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में 1 वर्ष का वतन सुपर स्पेशलिटी अनुसंधान/स्कूल ऑफ एक्सपेरिमेंट इन फार्मासोटी मेडिसिन में जमा करना होगा।

8.8 सांख्यिक सन्निधि चिकित्सक को 4 माह के वतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताये सेवा समाप्त कर सकेगी।

8.9 अवकाश, आरक्षण, एवं अर्थावधिकीय आयु के संबंध में म.प्र स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे।

शेष जो शर्त मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अनुसंधान चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 में

निहित है वे लागू होंगी। निम्नका अवलोकन संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र की वेबसाइट

www.medicaleducation.mp.gov.in/नताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की वेबसाइट

www.nscbm.ac.in पर किया जा सकता है।

9. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- नताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आवेदन पर

पत्र दिनांक 24/11/2019 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा

अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी नताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा

सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्कूल ऑफ एक्सपेरिमेंट इन फार्मासोटी मेडिसिन नताजी सुभाष

चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में लिखित एवं विषय तथा आवेदन पत्र का

नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करे। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त

होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

11. वतन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भता देय नहीं होगा।

12. नियुक्ति संबंधी समीचीन नियमावली एवं नियुक्ति/पदोन्नति/रहती, एवं अध्यक्षा नियुक्ति निरस्त

होने की दशा में नियुक्ति के संबंध के अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेगी।

13. उपरोक्त विधान की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रकार नताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय

जबलपुर म.प्र की वेबसाइट www.nscbm.ac.in पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टिप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी की वे अपने आवेदन पत्र के लिए

निर्धारित समस्त अर्थावधिकीय शर्तों को पुरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्थावधिकीय

स्वयं करा ले, और अर्थावधिकीय शर्तें पुरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। वतन के किसी भी स्तर पर आवेदक

अनर्हे पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध

पूर्विस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस

आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

वतन होने पर कार्यभार ग्रहण करते समय निर्दिष्ट सम्बन्धी बिंदु क्र 06 के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना

अनिवार्य है।

मध्य कार्यालय आधिकारी/अभिज्ञता

नताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सक महाविद्यालय


जबलपुर म.प्र.

आवेदन पत्र का प्रारूप

..... स्कूल आफ एक्सपेरिमेंट इन परम्पनली मेडिसिन
अस्पताल जलपुर के..... पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन - पत्र

(अंतिम तिथि / /)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे ।



1. आवेदक का नाम -----

2. पुरुष / महिला -----

3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित) -----

4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)-----

शहर का नाम -----फोन नं -----

मोबाइल नं -----इ-मेल आईडी -----

5. स्थाई पता -----

शहर का नाम -----फोन नं -----

मोबाइल नं -----

6. आधार कार्ड नंबर (ही तो)-----

7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंक्रमणी सतबन करे)

8. दिनांक 01/01/ को आवेदक की आयुदिनमाहवर्ष

9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित

10. विवाह का दिनांक-----

Handwritten signatures and marks at the top of the page.

आवेदन का पत्र नाम एवं पता लिखें

(Handwritten signature and initials)

दिनांक

स्थान

16. सफल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि

क्रमिक	प्रकार	प्रमाण पत्र
1	प्रमाण पत्र	
2	प्रमाण पत्र	
3	प्रमाण पत्र	

15. प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए

क्रमिक	प्रकार	प्रमाण पत्र
1	प्रमाण पत्र	
2	प्रमाण पत्र	
3	प्रमाण पत्र	

14. प्रमाणित करने के लिए

नोट: प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए

क्र	प्रमाणित करने के लिए	प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र
1	MBBS First Prof.									
2	MBBS Second Prof.									
3	MBBS Final Part I									
4	MBBS Final Part II									
5	MD/ DM/ DNB									
6	S.R									

प्रमाणित करने के लिए

अ. प्रमाणित करने के लिए
 ब. प्रमाणित करने के लिए
 स. प्रमाणित करने के लिए

12. प्रमाणित करने के लिए

11. प्रमाणित करने के लिए / प्रमाणित करने के लिए / प्रमाणित करने के लिए

आवेदक का पूरा नाम एवं पता लिखें

Handwritten signature and initials

1. मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करती हूँ कि मुझे नैतिक पत्र के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध दंड प्रकाश का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचारणीय है।